न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

करण संख्या– 124/2012/TI

1. मनभरी देवी पत्नि स्व. शंकरलाल
2. ओमप्रकाश
3. श्रवण कुमार

समस्त जाति बलाई निवासीगण रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बिड़दा
2. काना
3. रतना
4. रामू
5. सीताराम

} पुत्रगण कालू

6. मोहनी पत्नि स्व0 रामेश्वर
7. प्रकाश
8. बृजकेश
9. नंदकिशोर

} पुत्रगण स्व. रामेश्वर

10. मूला
11. प्रहलाद

} पुत्रगण ईशरा

12. प्रभाती पत्नि स्व. गणपत
13. नंदाराम
14. खेता
15. मदन
16. मोहन

} पुत्रगण स्व. गणपत

समस्त जाति बलाई निवासीगण रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

17. पटवारी, पटवार हल्का बनाथला, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
18. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय दांतारामगढ जिला सीकर।
19. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
. श्री मूलचंद धायल वकील प्रार्थीगण की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 21.08.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार व प्रार्थीगण का कथन इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0नं0 47 रकबा 2.27 हैक्टर, ख0नं0 48 रकबा 2.07 हैक्टर, ख0नं0 239 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 240 रकबा 0.02 हैक्टर किता 5 ुल रकबा 4.42 हैक्टर वाके ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें आवेदकगण का हिस 1/8 है तथा उपरोक्त भूमियां आवेदकगण व अनावेदकगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां है। विवादित भूमियों का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा अनावेदकगण सं0 1 ता 16 के मन में बेईमानी आ गई है तथाा आवेदकगण द्वारा निर्मित उपजाउ हिस्से को विक्रय करने में लगे हुए है। यदि इसमें अनावेदकगण सफल हो गये तो आवेदकगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है। अतः अनावेदकगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं0 1 ता 19 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गईं। आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

4. बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। रिकॉर्डेड खातेदार के हितों को ध्यान में रखते हुए

ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगणों को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सें तादौराने वाद प्रतिबंधित किया जाता है कि ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0नं0 47 रकबा 2.27 हैक्टर, ख0नं0 48 रकबा 2.07 हैक्टर, ख0नं0 239 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 240 रकबा 0.02 हैक्टर किता 5 कुल रकबा 4.42 हैक्टर की मौके व रिकॉर्ड की यथारिथति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)

Scanned by CamScanner